

भारत में लुप्त पुरावशेषों का खतरा

प्रलिस के लयः

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), यूनेस्को, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, पुरावशेष और कला नधि अधिनियम 1972

मेन्स के लयः

लुप्त कलाकृतियों के संबंध में मुद्दे, पुरावशेषों के संरक्षण से संबंधित पहल

चर्चा में क्यों?

"आधिकारिक तौर पर" लुप्त घोषित की गई कलाकृतियों और वैश्विक बाजारों में जो सामने आ रही हैं या संग्रहालय के शेल्फों और तालिका में पाई जा रही कलाकृतियों के बीच एक बड़ा अंतर है।

- स्वतंत्रता के बाद से [भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण \(ASI\)](#) द्वारा संरक्षित और अनुरक्षित **3,696 स्मारकों में से 486 पुरावशेष गायब** बताए गए हैं।

लुप्त शिल्पकृतियों के संबंध में प्रकाशित किये गए मुद्दे:

- ASI के अनुसार, वर्ष 2014 में 292 और वर्ष 1976 से 2013 के बीच 13 पुरावशेष वदिशों से भारत वापस लाए गए हैं।
 - ASI की लुप्त पुरावशेषों की सूची में 17 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के पुरावशेष शामिल हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 139, राजस्थान के 95 और उत्तर प्रदेश के 86 पुरावशेष शामिल हैं।
- संसदीय समिति ने कहा कि ASI द्वारा वदिशों से "पुनर्प्राप्त की गई प्राचीन वस्तुओं की संख्या" देश से तस्करी करके लाई गई प्राचीन वस्तुओं की बड़ी संख्या की तुलना में अधिक है जो बड़ी समस्या की छोटी सी झलक है।
- ASI के अधीन स्मारक और स्थल पूरे देश में पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों की कुल संख्या का "छोटा प्रतिशत" है।
- लुप्त पुरावशेषों के खतरे को [यूनेस्को](#) द्वारा भी वशिलेपति किया गया है। यह अनुमान है कि "1989 तक भारत से 50,000 से अधिक कला वस्तुओं की तस्करी की गई है।"

पुरावशेष (Antiquity):

- परिचय:
 - पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृत अधिनियम, 1972 जो 1 अप्रैल, 1976 को लागू हुआ, "पुरावशेष" जो कम-से-कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है, को वस्तु या कला के रूप में परिभाषित करता है।
 - इसमें सक्के, मूरतियाँ, पेंटिंग, पुरालेख, पृथक लेख आदि वस्तुएँ शामिल हैं जो वज्जान, साहित्य, कला, धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक लोकाचार या ऐतिहासिक राजनीति को चित्रित करती हैं।
 - "पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज़ जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्यवादी मूल्य के हैं" और जनिकी अवधि 75 वर्ष से कम नहीं है", को पुरावशेष के रूप में शामिल किया जाता है।
- संरक्षण पहल:
 - भारतीय:
 - भारत में संघ सूची की मद- 67, राज्य सूची की मद- 12 तथा संवधान की समवर्ती सूची की मद- 40 देश की वरिसत से संबंधित हैं।
 - स्वतंत्रता से पहले पुरावशेष (नरियात नयित्रण) अधिनियम अप्रैल 1947 में यह सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया था कि बिना लाइसेंस के किसी भी पुरावशेष का नरियात नहीं किया जा सकता है।
 - प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को वनिश तथा दुरुपयोग से बचाने हेतु वर्ष 1958 में [प्राचीन स्मारक एवं](#)

[पुरातत्त्व स्थल व अवशेष अधिनियम](#) बनाया गया था।

◦ वैश्विक:

- यूनेस्को ने सांस्कृतिक संपत्तियों के अर्थ आयात, नरियात और स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने एवं रोकने के साधनों पर अभिसमय 1970 स्थापित किया।
- [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद](#) ने भी संघर्ष वाले क्षेत्रों में सांस्कृतिक वरिसत स्थलों की सुरक्षा हेतु वर्ष 2015 और 2016 में प्रस्ताव पारित किए।

पुरावशेष का 'उत्पत्ति स्थान':

- उद्गम में वे सभी मालिक सूची में शामिल हैं जब वस्तु ने नरिमाता के नियंत्रण को उस समय तक छोड़ दिया था जब वह वर्तमान मालिक द्वारा अधिग्रहण किया गया था।

पुरावशेषों को वापस लाने की प्रक्रिया:

■ श्रेणियाँ:

- स्वतंत्रता पूर्व भारत से ले जाए गए पुरावशेष
- स्वतंत्रता के बाद से मार्च 1976 तक ले जाए गए पुरावशेष
- अप्रैल 1976 से पुरावशेषों को देश से बाहर ले जाया गया
- स्वतंत्रता से पहले भारत से बाहर ले जाए गए पुरावशेषों के लिये उनकी पुनर्प्राप्ति हेतु अनुरोध द्विपक्षीय रूप से या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिये।
 - उदाहरण के लिये नवंबर 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार को लंदन से वापस लाने के लिये कार्य कर रही है।
- दूसरी और तीसरी श्रेणियों में पुरावशेषों को स्वामित्व के प्रमाण के साथ द्विपक्षीय मुद्दे को उठाकर तथा यूनेस्को कन्वेंशन का उपयोग करके आसानी से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न 1. भारतीय कला वरिसत की रक्षा करना इस समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (2018)

प्रश्न 2. भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों एवं उनकी कला की कल्पना तथा आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाई है। चर्चा कीजिये। (2020)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)